

संसद के समक्ष अभिभाषण – 18 मार्च 1957

| | | |
|----------------------|---|---------------------------|
| लोक सभा | - | पहली लोक सभा |
| सत्र | - | वर्ष का पहला सत्र |
| भारत के राष्ट्रपति | - | डॉ. राजेन्द्र प्रसाद |
| भारत के उपराष्ट्रपति | - | डॉ. एस. राधाकृष्णन |
| भारत के प्रधानमंत्री | - | पंडित जवाहरलाल नेहरु |
| लोक सभा अध्यक्ष | - | श्री एम. अनन्तशयनम् आयंगर |

माननीय सदस्यगण,

आज मैं पूरे एक वर्ष बाद आपके सामने अभिभाषण कर रहा हूं। यह वर्ष हमारे देश के लिए और विश्व के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं से पूर्ण रहा है। हम ऐसे समय एकत्र हुये हैं जबकि देश भर में आम चुनाव चल रहे हैं और इनके परिणामस्वरूप नई संसद की स्थापना होने जा रही है। इस संसद के सम्मुख कुछ कहने का मेरे लिए यह अंतिम अवसर है। अपने निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधि के रूप में आप में से कुछ नई संसद में भी आयेंगे और संभवतः कुछ सदस्यगण नई संसद में नहीं भी आयेंगे। आपका कार्यक्षेत्र कहीं भी हो, मुझे इसमें संदेह नहीं कि जो कुछ भी आप करेंगे वह इस देश के निर्माण-संबंधी महान कार्य के हित में होगा। मैं आपके कार्य में सफलता और आपकी सम्पन्नता की कामना करता हूं।

पिछली बार जब मैंने आपके सामने अभिभाषण दिया था, तब से संसार ने, विशेषकर मध्य-पूर्व ने, तनाव की स्थिति का सामना किया है और एक ऐसा संघर्ष भी देखा है जिसका अंतिम रूप मिस्र पर आक्रमण हुआ। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप और संसार के जनमत के फलस्वरूप आक्रमणकारी सेनाओं को मिस्र से हटा लिया गया, किन्तु इस संघर्ष से मिस्र को भारी क्षति ही नहीं उठानी पड़ी बल्कि ऐसे समय जब अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में सुधार होता दिखाई दे रहा था तनाव में वृद्धि हुई। इन परिस्थितियों के कारण बहुत सी समस्यायें पैदा हो गई हैं जिन्हें अब सुलझाना होगा। इन समस्याओं से हमारा भी गहरा संबंध है क्योंकि विश्व-शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में हमारी दिलचस्पी है और हमें अपने हितों की भी रक्षा करनी है। इसलिए इन कठिनाइयों को

सुलझाने में हमने योगदान देने की चेष्टा की। इस प्रकार हमारे देश ने अपने ऊपर भारी दायित्व लिये हैं जिनमें संयुक्त राष्ट्र आपातकालिक सेना में सम्मिलित होना भी शामिल है। यह सेना संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा के निर्णय के अनुसार और आक्रमणकारी सेनाओं के वापसी-संबंधी प्रस्ताव के अंतर्गत संगठित की गई थी।

मध्य यूरोप में हंगरी में घटने वाली घटनाओं से हमें बहुत घबराहट हुई और दूसरे मामलों की तरह इस मामले में भी हमने विदेशी सेनाओं की वापसी के लिए और राष्ट्रीय आन्दोलनों के दमन के लिए उनके प्रयोग के विरुद्ध आवाज उठाई। इसके साथ ही विभिन्न अवसरों पर इस समस्या का हल ढूँढ़ने में हमने भरसक सहायता करने की चेष्टा की और हंगरी के लोगों की लाक्षणिक सहायता के रूप में उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की।

विश्व-शांति और सहयोग की संभावनाओं पर मध्य-पूर्व की स्थिति की परछाई पड़ी है। उधर यातायात के लिए स्वेज नहर का खुलना बाकी रहता है। इस क्षेत्र में सैनिक संधियों की नीति ने राष्ट्रों को आपस में बांट दिया है और एशिया में अधिकाधिक युद्ध सामग्री जुटाई जाने लगी है। फिर भी यह देखकर कि इस क्षेत्र में संघर्ष का और अधिक विस्तार नहीं हुआ हमें सन्तुष्ट होना चाहिए।

भूतपूर्व ब्रिटिश उपनिवेश, गोल्ड कोस्ट और इसके साथ अंग्रेजी शासन के अधीन टोगोलैंड का प्रदेश अब घाना नामक स्वतन्त्र और सर्वाधिकार सम्पन्न राष्ट्र के रूप में और राष्ट्रमण्डल के सदस्य के रूप में उदित हुआ है, इस बात से भारत सरकार और भारत की जनता को बहुत खुशी हुई है।

हम संयुक्त राष्ट्र में सूडान, मोरक्को, द्यूनीसिया, जापान तथा घाना के प्रवेश का स्वागत करते हैं। मंगोलिया के बराबर बाहर रहने और चीन के अधिकृत प्रतिनिधियों को संयुक्त राष्ट्र में स्थान न दिये जाने के कारण हमें क्षोभ होता है और इस स्थिति का प्रतिकार करने में हम बराबर प्रयत्नशील हैं।

हम आशा करते हैं कि मलाया शीघ्र ही एक स्वतंत्र देश बन जायेगा और ऐसा होने से उपनिवेशवाद का प्रभाव और कम हो जायेगा और एशिया में राष्ट्रीय स्वाधीनता की सीमायें विस्तृत हो सकेंगी।

संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा के 11वें सत्र में मध्य-पूर्व, अल्जीरिया और साइप्रस संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर होने वाले विवादों में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने प्रभावोत्पादक और उपयोगी योगदान दिया है और इन समस्याओं का शांतिपूर्ण हल ढूँढ़ने और कार्यप्रणाली तय करने में सहायता दी है। निःशस्त्रीकरण कार्य आगे नहीं बढ़ा है किन्तु संयुक्त राष्ट्र ने एकमत से अपने प्रयत्न जारी रखने और भारत के सुझाव समेत सभी सुझावों पर विचार करने का निश्चय किया है। भारत सरकार को खुशी है कि वह इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में सहायक हो सकी।

हमारा देश अन्तर्राष्ट्रीय अणुशक्ति एजेंसी के प्रारम्भिक आयोग का सदस्य था। इसलिए हमें इस बात का सन्तोष है कि इस एजेंसी की अब स्थापना हो गई है। हमारी यह कामना तथा आशा है कि अणुशक्ति का उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों में होगा और विध्वंसक कार्यों में इसका प्रयोग बन्द हो सकेगा।

अपने पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की यात्रा का मुझे सुख और सौभाग्य प्राप्त हुआ। उपराष्ट्रपति ने महामहिम नेपाल नरेश महेन्द्र वीर विक्रम शाह के राज्याभिषेक के अवसर पर हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया था। आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति के क्षेत्र में नेपाल सरकार तथा वहां की जनता के प्रयत्नों के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है और हमें खुशी है कि हम उनकी पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वित होने में टेक्निकल तथा आर्थिक सहायता दे सके।

भारत में बुद्ध जयन्ती-संबंधी समारोहों के कारण हमें अपने देश में दलाई लामा तथा पंचेन लामा और संसार के विभिन्न भागों के बौद्ध नेताओं के स्वागत का सुअवसर मिला। इस समारोह ने हमें और संसार को भगवान बुद्ध के शांति तथा करुणा के संदेश का फिर से स्मरण कराया। आज विश्व को इस संदेश की अत्यधिक आवश्यकता है।

अपने देश में अनेक सम्मानित आगन्तुकों का स्वागत करने और उनका परम्परागत आतिथ्य करने का भारत सरकार और देश के लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे इन सम्मानित अतिथियों में महामहिम ईरान के शाहनशाह तथा साम्राज्ञी, महामहिम इथोपिया के सम्राट, सीरिया के राष्ट्रपति, शुक्री-अल-कुवतली, कम्बोडिया के राजकुमार परमश्रेष्ठ नरोदम सिंहनूक, बर्मा*, श्रीलंका, इंडोनेशिया, चीन, नेपाल और डेनमार्क के प्रधान मंत्री गण, जर्मनी के संघीय गणतंत्र के उपचांसलर, सोवियत संघ के उपप्रधान मंत्री, सूडान के उपप्रधान मंत्री और अमरीका, फ्रांस तथा ब्रिटेन के परराष्ट्र मंत्री शामिल हैं। 1956 में संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा के अध्यक्ष, डॉ. जोज माजा और संयुक्त राष्ट्र के महामंत्री भी हमारे सम्मानित अतिथियों में शामिल थे। बर्मा, चीन, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, नार्वे, पोलैंड, स्वीडन, सीरिया और यूगांडा से संसदीय, सांस्कृतिक, व्यापारिक तथा सद्भावना-संबंधी प्रतिनिधि मण्डल भी हमारे देश में आये।

भारतीय उपराष्ट्रपति ने सोवियत संघ, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रूमानिया, बुल्गारिया, पूर्वी अफ्रीका, केन्द्रीय अफ्रीका संघ, इंडोनेशिया तथा जापान की यात्रा की और सभी देशों में उनका हार्दिक स्वागत हुआ।

राष्ट्रपति आइजनहावर के निमंत्रण पर हमारे प्रधान मंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की। इस यात्रा से तथा अमेरिका के राष्ट्रपति और हमारे प्रधान मंत्री में

* अब म्यामार के नाम से जाना जाता है।

विचार-विनिमय के फलस्वरूप हमारे दोनों राष्ट्रों के बीच अधिक सद्भावना हुई तथा एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में सहायता मिली। मेरी सरकार को विश्वास है कि इसके द्वारा पारस्परिक सम्मान तथा सद्भावना के आधार पर दोनों देशों में अधिकाधिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त होता रहेगा।

कनाडा के प्रधान मंत्री, श्री लुई सेंट लारा के निमंत्रण पर हमारे प्रधान मंत्री ने कनाडा की यात्रा की। यह यात्रा कनाडा और हमारे देश के बीच सुखद संबंधों को और दृढ़ करने में सहायक सिद्ध हुई है। हमारे दोनों देशों में सदा निकट के और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं।

मेरी सरकार को खेद है कि दक्षिण अफ्रीका की पृथक्करण की नीति की समस्या को सुलझाने और अफ्रीकियों तथा भारतीय प्रवासियों के विरुद्ध भेदभाव की नीति को दूर करने के संबंध में कभी प्रगति नहीं की जा सकी। मेरी सरकार के सुझाव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक बार फिर इस समस्या पर विचार किया। बातचीत द्वारा इस समस्या का हल निकालने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने सरकारों से फिर अपील की है। पहले की तरह भारत सरकार ने फिर स्वेच्छा से इस प्रस्ताव का समर्थन किया है।

मेरी सरकार को हार्दिक खेद है कि गोआ अभी भी पुर्तगाली सरकार का औपनिवेशिक चौकी के रूप में बना है और वहां प्रत्येक प्रकार की स्वाधीनता का दमन किया जा रहा है और आर्थिक उन्नति अवरुद्ध है। मेरी सरकार की यह दृढ़ नीति है कि गोआ को औपनिवेशिक प्रभुत्व से मुक्त होना चाहिये और भारत की स्वाधीनता में साझेदार होना चाहिए।

मेरी सरकार को खेद है कि पाकिस्तान से इसके संबंध में बराबर कठिनाइयां पैदा हो रही हैं और पाकिस्तान में भारत-विरोधी और जेहाद के आन्दोलनों में कुछ भी कमी नहीं आई। भारत सरकार और देश के लोगों का दृष्टिकोण यह है कि हम घृणा का उत्तर घृणा से नहीं देंगे, किन्तु अपने न्यायोचित हितों तथा देश की रक्षा करते हुए दोनों देशों में मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहन देने में प्रयत्नशील रहेंगे। पूर्वी पाकिस्तान से भारत में लोगों की निकासी गत वर्ष बराबर होती रही और इस समस्या ने विकट रूप धारण कर लिया। कुल मिलाकर पूर्वी पाकिस्तान से 40 लाख से ऊपर लोग भारत आ चुके हैं और इन लोगों के आ जाने से हमारे देश पर, विशेषकर पश्चिम बंगाल की सरकार पर, भारी बोझ पड़ा है।

पाकिस्तान सरकार के आवेदन पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् में कश्मीर के मामले पर विचार किया गया। भारत सरकार की स्थिति स्पष्ट और निर्विवाद शब्दों में व्यक्त की गई। अर्थात् अक्तूबर, 1947 से जम्मू और कश्मीर राज्य भारत संघ के दूसरे राज्यों की तरह देश का एक वैधानिक भाग रहा है और अब भी है। कश्मीर में जो स्थिति पैदा हुई है उसका कारण अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र द्वारा पास किये

गये प्रस्तावों में निहित समझौतों की अवहेलना करके, पाकिस्तान द्वारा आक्रमण और भारतीय संघ के भू-भाग पर अवैध रूप से अधिकार कर लेना है। सुरक्षा परिषद् ने गत मास अपने तत्कालीन सभापति को भारत और पाकिस्तान की सरकारों से बातचीत करने के लिए इन देशों में भेजने का निश्चय किया। अपनी साधारण नीति के अनुसार भारत सरकार ने स्वीडन निवासी श्रीयरिंग का, जिनके शीघ्र ही यहां आने की आशा है, स्वागत तथा उनका आतिथ्य-सत्कार करने की सहमति दी है।

अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, जिसमें पहले सुधार के लक्षण दृष्टिगोचर होते थे, अब कम आशाजनक दिखाई देती है। फिर भी हमारे देश के सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बराबर बने हैं, यद्यपि विश्व की स्थिति में बिगाड़ का पूर्व के देशों के शांतिपूर्ण संबंधों, परस्पर सहयोग तथा आर्थिक विकास पर दूषित प्रभाव पड़ा है। शक्ति के संतुलन पर आधारित सैनिक गुटों की नीति के कारण विशेष रूप से एशिया में तनाव बढ़ा है, शस्त्रास्त्रों में वृद्धि हुई है और शीत-युद्ध के क्षेत्र का विस्तार हुआ है। मेरी सरकार की बराबर यह दृढ़ धारणा है कि शांतिपूर्ण बातचीत और पारस्परिक समझौतों द्वारा ही विश्व की समस्याओं को ठीक और आशाजनक ढंग से सुलझाया जा सकता है।

गत वर्ष राज्यों के पुनर्गठन का कार्य समाप्त कर लिया गया और यह कार्य, जिसके कारण देश के कुछ भागों में दुर्भाग्यवश भावातिरेक के प्रदर्शन हुये, अब सम्पन्न हो चुका है। गत वर्ष ही पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि सफलतापूर्वक समाप्त हुई और दूसरी पंचवर्षीय योजना को चालू किया गया। इस योजना में खाद्यों के उत्पादन पर पहले की तरह जोर दिया गया है किन्तु इसके साथ ही देश के औद्योगिक विकास विशेषकर बड़े उद्योगों की स्थापना पर अधिक बल दिया गया है। सामुदायिक योजना तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा का देहाती इलाकों में आशर्चयजनक तेजी से विस्तार हुआ है। इन सेवाओं के अंतर्गत अब दो लाख बीस हजार गांव और 12 करोड़ 90 लाख जनसंख्या आती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में छोटे और घरेलू उद्योगों की उन्नति पर विशेष जोर दिया गया है।

खनिज पर्यवेक्षण के परिणामस्वरूप तेल की आशाजनक खोज हुई है और राजस्थान तथा बिहार में यूरेनियम धातु का पता लगा है। थोरियम और यूरेनियम की भारी मात्रा में उपलब्धि के कारण इन धातुओं के हमारे ज्ञात साधन दुगने से भी अधिक हो गये हैं। हमारे अणुशक्ति विभाग ने भी प्रगति की है और भारत का पहला अणु रिएक्टर गत वर्ष चालू हो गया। सोवियत संघ से बाहर एशिया में स्थापित होने वाला यह पहला अणु रिएक्टर है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना का यह प्रथम वर्ष समाप्त होने वाला है। विगत वर्ष में कुछ कठिनाइयां हमारे सामने आई हैं। कुछ चीजों के भाव ऊंचे चढ़े और विदेशी विनियम के हमारे साधन संकुचित हो गये हैं। यह गतिविधि देश के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों

के बढ़ते हुये उत्पादन की परिचायक है। देश में धन लगाने पर जोर और अधिक उपभोक्ता पदार्थों की अधिक मांग त्वरित विकास की प्रक्रिया का आवश्यक अंग है और एक हद तक इस प्रकार का दबाव इस बात का द्योतक है कि विकास के हित में देश के साधनों का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। किन्तु हमें सावधान रहना चाहिये कि यह दबाव अधिक न होने पाये। भावों के चढ़ाव को रोकने के लिए और विदेशी विनिमय के साधनों के हास की रोकथाम के लिए सरकार आवश्यक कार्यवाही करने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है।

इस दिशा में सरकार के सामने प्रमुख समस्या विदेशी विनिमय के साधनों की सुरक्षा तथा वृद्धि की है। जिस देश में मशीन तैयार करने की काफी क्षमता न हो, उसे औद्योगीकरण के लिए आवश्यक रूप से विदेशी विनिमय अधिक मात्रा में व्यय करना पड़ता है। विदेशी विनिमय पूंजी में सहसा अधिक वृद्धि संभव नहीं, इसलिए देश के साधनों के विकास के हित में आरम्भ में विदेशी सहायता आवश्यक होती है। फिर भी अधिकाधिक विदेशी विनिमय उपार्जित करना और आयात में मितव्यिता से काम लेना प्रत्येक देश के लिए अनिवार्य है। अमरीकी सरकार से हाल में ही जो समझौता हमने किया है और जिसके अनुसार हमें विपुल मात्रा में गेहूं, चावल और रुई उधार मिल सकेगा, उससे हमें चढ़ते हुए भावों को रोकने और अपनी योजना को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। हमें आशा है कि विश्व बैंक सरीखी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तथा मित्र देशों से भी हमें काफी वित्तीय सहायता मिलेगी फिर भी यह निर्विवाद है कि विकास के कामों के लिए आवश्यक साधनों को हमें अपने बल पर ही जुटाना होगा और इसके लिये उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि करने के उद्देश्य से हमें जनता को संगठित करना होगा।

दूसरी योजना में औद्योगीकरण और आर्थिक व्यवस्था के विविधीकरण को प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए खाद्य, कपड़ा और उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक कच्चे माल संबंधी आधारभूत पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाना आवश्यक है। इस योजना में अधिक धन लगाने पर भी जोर दिया गया है और रोजगार के साधनों का विस्तार इसके प्रमुख उद्देश्यों में एक है। रोजगार के बढ़ाने और धन लगाने से जो आय होगी वह अधिकतर खुराक और कपड़े पर खर्च होगी। इसलिए इन दोनों चीजों के उत्पादन में वृद्धि द्वारा ही योजना को, मुद्राबाहुल्य का संकट उपस्थित किये बिना, आगे बढ़ाया जा सकता है। कृषि उत्पादन में वृद्धि विकास के क्षेत्र में हमारे प्रयासों का प्रमुख आधार है। इस काम के लिए जनता के प्रत्येक वर्ग के लोगों का पूर्ण सहयोग अपेक्षित है।

1957-58 वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार के आय-व्यय के अनुमानित आंकड़े आपके सम्पुर्ण रखे जायेंगे जिससे कि आप इस पर अपना मत देकर आलोच्य वर्ष के

एक भाग के लिए खर्च करने की अनुमति दे सकें। इसके अतिरिक्त केरल राज्य के संबंध में भी इसी प्रकार के अंक आपका अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आपके सामने रखे जायेंगे।

संसद का यह सत्र स्वल्प होगा और इसमें कोई बड़ा अथवा विवादास्पद विधान हाथ में नहीं लिया जायेगा। कुछ अध्यादेश जो विगत सत्र के बाद जारी किये गये थे, संसद के समक्ष रखे जायेंगे।

पांच वर्ष हुये इस महान देश के मतदाताओं की प्रतिनिधि स्वरूप यह संसद चुनी गई थी और इसने देश के कल्याण तथा प्रगति के लिए और विश्व में सहयोग तथा शांति-स्थापन के लिए यत्न किया है। इस यत्न का सुखद फल हुआ है जिसे हम देश में चारों ओर देखते हैं। जो सफलतायें आपने इस अवधि में प्राप्त की हैं उन पर, संसद के सदस्यगण, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। परन्तु हममें से कोई भी निश्चित हो कर बैठ नहीं सकता क्योंकि नवीन और सम्पन्न भारत के निर्माण की कहानी सदा घटित होती रहेगी, जिससे इस देश की जनता को सुख प्राप्त होगा और विश्व-शांति तथा सहयोग के पक्ष को बल मिलेगा।

मैं आशा करता हूं कि भगवान बुद्ध का सन्देश, जिनकी जयन्ती हमने हाल ही में मनाई थी, तथा हमारे राष्ट्रपिता की आत्मा हमें सत्प्रेरणा देती रहेगी।